मध्यप्रदेश विधान सभा

नवम्बर, 2001 सत्र

दैनिक कार्य सूची

मंगलवार, दिनांक 6 नवम्बर, 2001 (कार्तिक 15, 1923)

समय 10.30 बजे दिन

1. प्रश्नोत्तर

पृथकतः वितरित सूची में सम्मिलित प्रश्न पूछे जायेंगे तथा उनके उत्तर दिये जायेंगे.

2. अध्यादेश का पटल पर रखा जाना

श्री घनश्याम पाटीदार, राज्यमंत्री, विधि और विधायी कार्य, भारत के संविधान के अनुच्छेद 213 की अपेक्षानुसार मध्यप्रदेश विश्वविद्यालय (संशोधन) अध्यादेश, 2001 (क्रमांक 4 सन् 2001) पटल पर रखेंगे.

3. अगस्त-सितम्बर, 2001 सत्र के प्रश्नों के अपूर्ण उत्तरों के पूर्ण उत्तरों का पटल पर रखा जाना.

4. नियम 267-क के अधीन अगस्त-सितम्बर, 2001 सत्र में सदन में पढ़ी गई सूचनाओं तथा उनके उत्तरों का संकलन पटल पर रखा जाना.

5. राज्यपाल की अनुमति प्राप्त विधेयकों की सूचना.

6. नियम 138(1) के अधीन ध्यान आकर्षण

(1) श्री बाबूलाल गौर, सदस्य, प्रदेश के अनेक जिलों में फसल बीमा की राशि कृषकों को न दिये जाने से उत्पन्न स्थिति की ओर कृषि मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(2) श्री रमेश अग्रवाल, सदस्य, ग्वालियर नगर में पेयजल हेतु दी गई राशि का दुरूपयोग होने से उत्पन्न स्थिति की ओर नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

7. सभापति तालिका की घोषणा.

निर्धारित समय

8. नियम 139 के अधीन अविलम्बनीय लोक महत्व के विषयों पर चर्चा

1 घन्टा 30 मि. — (1) प्रदेश में सड़कों की जर्जर हालत से उत्पन्न स्थिति के संबंध में श्री लक्ष्मीकांत शर्मा, सदस्य, चर्चा उठायेंगे.

1 घन्टा 30 मि. — (2) प्रदेश में सूखे से उत्पन्न स्थिति के संबंध में सर्वश्री कंकर मुंजारे, रसाल सिंह, लक्ष्मीकांत शर्मा, राजेन्द्र भारती (दतिया), डॉ. आई.एम.पी. वर्मा, डॉ. सीतासरन शर्मा, श्री नरेन्द्र सिंह तोमर, श्री अनूप मिश्रा, सदस्य, चर्चा उठायेंगे.

भोपाल :
दिनांक : 5 नवम्बर, 2001

डॉ. ए. के. पयासी
सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा.